

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग
क्रमांक प.11(17)वित्त/आब/2003 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक: 26.12.2017

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2018-19 में अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम सर्वश्री/श्रीमती	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री जयनारायण	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	01.09.1958	31.08.2018
2.	श्री जितेन्द्र सिंह	जिला आबकारी अधिकारी	25.12.1958	31.12.2018
3.	श्री लालाराम रेगर	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	20.03.1959	31.03.2019
4.	श्री गजेन्द्र सिंह	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	10.09.1958	30.09.2018
5.	श्री खुशीराम भीणा	सहायक आबकारी अधिकारी (सामान्य शाखा)	01.07.1958	30.06.2018
6.	श्री मिठू लाल रावत	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	21.09.1958	30.09.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन शासन सचिवालय, जयपुर-302005
Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:
www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in

क्रम संख्या 3, 5 एवं 6 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन है।


आज्ञा से,

—sd—

(औंकार मल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(ओ)(5)संस्था /आब/2012/934 दिनांक 25.09.2017 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारियों की सेवानिवृत्त तिथि तक इनके विरुद्ध कोई भी जांच लम्बित/विचाराधीन नहीं होना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी पत्रावली संबंधित अधिकारीगण।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005

Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:

www.finance.rajasthan.gov.in. email: dsfexcise@rajasthan.gov.in